ADDI (NPS)

DD NPS II

राजस्थान–सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

493 11/10/11

क्रमांकः प.4(12)वित्त/राजस्व/04 पार्ट–II जयपुर, दिनांक : 30-9-2011

निदेशक

2244

10 OCT

परिपत्र

राज्य सरकार के समसंख्यक आदेश दिनाक 27.12.2010 के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि नवीन पेंशन योजना के अंशदाताओं के खातों का संधारण केन्द्रीय प्रणाली पेंशन नियामक एवं विकास प्राधिकरण(पीएफआरडीए) के द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुरूप किया जाएगा। इस प्रणाली के अन्तर्गत समस्त खातों का रख–रखाव पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त केन्द्रीय रिकार्ड कीपिंग एजेन्सी(सीआरए) के द्वारा सम्पूर्ण भारत वर्ष के लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना की कटौतियों का संधारण किया जा रहा है एवं राज्य सरकार के अंशदाताओं को ट्रस्टी बैंक (बैंक ऑफ इण्डिया) में जमा करवाया जा रहा है। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राज्य स्तर पर इस योजना का नोडल विभाग नियुक्त है। उपरोक्त कार्यवाही को कार्य रूप देने के उद्देश्य से राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा निर्धारित प्रकिया निम्न प्रकार से पूर्ण कर ली गई हैं :–

1. राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग का नोडल अधिकारी के रूप में सीआरए (एनएसडीएल) के साथ रजिस्ट्रेशन हो चुका है।
2. राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के जिलाधीकारी, जो जिले में पदस्थापित समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों का डेटा सीआरए को अपलोड करेगें एंव राशि को ट्रस्टी बैंक को स्थानान्तरित करने के लिए उत्तरदायी होगें, उनका रजिस्ट्रेशन सीआरए के द्वारा किया जा चुका है।
3. समस्त आहरण एंव वितरण अधिकारियों का जिलेवार डेटा सॉफ्ट कॉपी में सीआरए को भिजवाकर उनका रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर लिया गया है जो कि बीमा विभाग को वेबसाईट पर उपलब्ध है।

इस विभाग के पूर्व समसंख्यक परिपत्र दिनांक 13.5.2011 के द्वारा समस्त विभागाध्यक्ष, सचिव, प्रशासक, स्वायतशासी संस्थाऐं, बोर्ड, निकाय, विश्वविद्यालय एवं समितियों से आग्रह किया गया था कि माह मई देय जून,2011 के वेतन बिलों के साथ समस्त अंशदाताओं के पंजीकरण हेतु एस–1 फार्म पूर्ति कर अवश्य कोष कार्यालय में प्रस्तुत किए जाऐं अन्यथा उक्त माह का वेतन बिला पारित करना संभव नहीं होगा। बीमा विभाग द्वारा यह अवगत कराया गया है कि कई आहरण एंव वितरण अधिकारियों द्वारा अभी तक समस्त अंशदाताओं के एस–1 फार्म विभाग को प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जिसके फलस्वरूप सीआरए द्वारा कर्मचारियों को स्थायी सेवानिवृति खाता संख्या (प्रान) आवंटित किया जाना संभव नहीं हो सकता है।

अतः सभी आहरण एंव वितरण अधिकारी अविलम्ब शेष अंशदाताओं से एस–1 फार्म पूर्ति करवाकर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के संबंधित जिला कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी माह अक्टूबर,2011 के वेतन बिल के साथ नवीन पेंशन योजना के कटौती पत्रों में अंशदाताओं के पूर्व में लिखे जा रहे बाहर अंकों के PRAN संख्या के स्थान पर सीआरए द्वारा आवंटित प्रान संख्या (PRAN) जो भी बारह अंकों का ही है, अंकित करेगें। आहरण एंव वितरण अधिकारी यह ध्यान में रखें कि जिन कर्मचारियों को प्रान नम्बर प्राप्त हो गये हैं, उनका वेतन बिल मय पृथक कटौती पत्र के तैयार किया जावे तथा जिन्हें प्रान नम्बर आवंटित नहीं हुआ है, उनका वेतन बिल अलग बनाया जावे। उक्त प्रकिया सुनिश्चित किये बिना कोषालय द्वारा कोई भी वेतन बिल पारित नहीं किया जा सकेगा।

इस तरह जिन अंशदाताओं के प्रान संख्या आवंटन के पश्चात् प्रान संख्या अंकित करते हुए पृथक कटौती पत्र प्राप्त होगा, उनकी राज्य बीमा विभाग के संबंधित जिला कार्यालय द्वारा माह अक्टूबर देय नवम्बर,2011 की कटौती की सूचना सीआरए की वेबसाईट पर अपलोड कर माह नवम्बर 2011 में ही एनपीएस की अंशदान राशि ट्रस्टी बैंक को स्थानान्तरित कर दी जाएगी। यंहा यह भी उल्लेखनीय है कि ऐसे कर्मचारियों की राशि समय पर सीआरए एवं ट्रस्टी बैंक को हस्तानान्तरित करने पर उन्हें निवेश का लाभ अन्य कर्मचारियों की तुलना में पहले प्राप्त होना प्रारम्भ हो जाएगा। जिन अंशदाताओं द्वारा एस–1 फार्म नहीं भरा गया है वे विलम्ब के लिए स्वंय जिम्मेदार होगें।

अतः समस्त आहरण एंव वितरण अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे शीध्र शेष रहे अंशदाताओं से एस–1 फार्म प्राप्त कर बीमा विभाग के जिला कार्यालयों में प्रस्तुत करें ताकि उन्हें (PRAN) आवंटित हो सके तथा उनका माह अक्टूबर,2011 का वेतन भी प्रान संख्या अंकित करते हुए आहरित की जाये, ताकि ट्रस्टी बैंक को राशि स्थानान्तरण में विलम्ब नहीं हो।

30/9/11

विशिष्ट शासन सचिव,वित्त (व्यय)

क्रमांकः प.4(12)वित्त/राजस्व/04पार्ट–II जयपुर, दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त निजी सचिव/निजी सहायक/विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री/राज्य मंत्री।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
4. महालेखाकार राजस्थान जयपुर।
5. निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राजस्थान जयपुर।
6. समस्त कलेक्टर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. समस्त कोषाधिकारी

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा राजस्थान जयपुर।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय राजस्थान जयपुर।
5. सिस्टम एनालिस्ट वित्त विभाग शासन सचिवालय जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

विशेषाधिकारी

वित्त (बीमा/पेंशन)